रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94

REGD. NO. D.L.-33004/94

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 1994/वैशाख 9, 1916
No. 12] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 1994/VAISAKHA 9, 1916

फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोजैक्ट अधिकारी (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) विनियम, 1994

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1994

फ्रूट एण्ड वैजिटेबल प्रोजक्ट अधिकारी (नियुक्ति वेतन और भत्ते विनियम, 1994)

संदर्भ : डीईएल : रा.डे.वि. बोर्ड :—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निदेशक बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

अध्याय—1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोजक्ट अधिकारी (नियुक्ति, वेतन और भत्ते), विनियम, 1994 है ।

(1) ये तुरन्त लागू होंगे ।

2. लागू होना :

(1) नियुक्ति प्रतिनियुक्ति या सेकेंडमेन्ट की संविदा, करार या आदेश के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाए ये विनियम फ्रूट एण्ड वैजिटेबल प्रोजेक्ट के प्रत्येक अधिकारी को लागू होंगे चाहे प्रोजक्ट में उसकी सेवा इस आदेश के पूर्व या पश्चात् आरंभ हुई हो ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोजेक्ट एक प्रथक स्थापन है जो स्वयं अपने कर्मचारियों को नियोजित करता है जिन्हें ये विनियम लागू होंगे ।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी ये विनियम राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के ऐसे किसी अधिकारी को लागू नहीं होंगे जो फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राजेक्ट में किसी समनुदेशन पर है, और ऐसे प्रत्येक अधिकारी को वे विनियम लागू होंगे जो उसे पहले ही लागू हैं ।

3. परिभाषा :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का किसी अधिकारी के संबंध में अर्थ है फ्रूट एण्ड वैजिटेबल प्रोजेक्ट प्रबंध समिति या ऐसा विनिर्दिष्ट सदस्य जो उस अधि-

कारी द्वारा धारित पद पर या उक्त अधिकारी को लागू होने वाले ग्रेड में किसी पद पर नियुक्ति करने के लिए तत्समय सक्षम है ।

(ख) "बोर्ड" का अर्थ है राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निदेशक बोर्ड ।

(ग) "बोर्ड का अध्यक्ष" का अर्थ है राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष और इसके अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष के कृत्यों का पालन करने वाला कोई व्यक्ति भी है ।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के संबंध में या किसी विषय के बारे में अर्थ है :—

(1) फूट एण्ड वेजिटेबल प्रोजेक्ट की प्रबंध समिति या उसका विनिर्दिष्ट सदस्य जिसे, जहां तक नियुक्ति, निलम्बन, सेवा के समापन या उससे पदच्युति से संबंधित विषयों का संबंध है, उस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, और,

(2) प्रबंध समिति या विनिर्दिष्ट सदस्य जिसके प्रति खण्ड (1) में निर्देश किया गया है या प्राजेक्ट का कोई अन्य अधिकारी जिसे अन्य सभी विषयों के संबंध में उस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है ।

(ङ) "कर्मचारी" का अर्थ है फूट एण्ड वेजिटेबल प्रोजेक्ट का कोई अधिकारी या कर्मकार।

(च) "महाप्रबंधक" का अर्थ है फूट एण्ड वेजिटेबल प्रोजेक्ट का मुख्य अधिशासक या उस रूप में स्थानापन्न अथवा मुख्य अधिशासक के कर्तव्यों का पालन करने वाला कोई अन्य अधिकारी ।

(छ) "सरकार" का अर्थ है केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार,

(ज) "सरकारी सेवक" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा का सदस्य है या कोई सिविल पद धारण करता है और इसके अंतर्गत उनका विदेश सेवा में ऐसा कोई व्यक्ति भी है,

(झ) "धारणाधिकार" का अर्थ है तुरन्त या अनुपस्थिति की कोई अवधि या अवधियां समाप्त होने पर ऐसा कोई पद जिसे वह स्थायी हैसियत से धारण कर रहा था, अधिष्ठायी रूप से धारण करने का किसी अधिकारी का अधिकार,

(ञ) "प्रबंध समिति" का अर्थ है फूट एण्ड वेजिटेबल प्राजेक्ट की प्रबंध समिति,

(ट) "मास" का अर्थ है ब्रिटिश कैलेण्डर के अनुसार संगणित एक मास,

(ठ) "अधिकारी" का अर्थ है औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अर्थान्तर्गत कर्मकार से भिन्न, फूट एण्ड वेजिटेबल प्राजेक्ट का कोई कर्मचारी,

(ड) "स्थानापन्न के रूप में काम करना" का किसी पद के प्रति निर्देश से किसी अधिकारी के संबंध में अर्थ है किसी अधिकारी द्वारा उस पर में एक अस्थायी इंतजाम के रूप में कर्तव्यों का पालन करना,

(ढ) "संगठन" के अंतर्गत कोई फार्म भी है,

(ण) "स्थायी अधिकारी" का अर्थ है ऐसा अधिकारी जो स्थायी पद पर नियोजित है और जिसे सम्यक रूप से पुष्ट कर दिया गया है,

(त) "वैयक्तिक वेतन" का अर्थ है किसी अधिकारी को—

(1) उसे वेतन के पुनरीक्षण के कारण या अनुशासनिक उपाय से अन्यथा मूल वेतन की किसी कमी के कारण किसी स्थायी पद के बारे में मूल वेतन की किसी हानि से बचाने के लिए, या

(2) असाधारण परिस्थितियों में, विशेष रूप से विचार करके, मंजूर किया गया अतिरिक्त वेतन ।

(थ) "प्रोजेक्ट" का अर्थ है फूट एण्ड वेजिटेबल प्रोजेक्ट,

(द) "विनिर्दिष्ट सदस्य" का अर्थ है फूट एण्ड वेजिटेबल प्रोजेक्ट प्रबंध समिति का वह सदस्य जिसे बोर्ड, समय-समय पर, उस रूप में विनिर्दिष्ट करे,

(ध) "प्रशिक्षणार्थी" का अर्थ है सीखने वाला, चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए, जो किसी विशेष करार के निबंधनों के अनुसार वृत्तिक सहित या उसके बिना, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नियोजित है,

(न) "अस्थायी अधिकारी" का अर्थ है ऐसा अधिकारी—

(1) जो ऐसा कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से नियोजित है जिसके एक सीमित अवधि के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है, या

(2) जो कार्यभार में अस्थायी वृद्धि के संबंध में एक अतिरिक्त अधिकारी के रूप में अस्थायी रूप से नियोजित है, या

(3) जो किसी स्थायी पद पर उस समय तक के लिए जब तक कि वह स्थायी पद भर नहीं दिया जाता है, अस्थायी रूप से नियुक्त है ।

(प) "कर्मकार" का अर्थ है फूट एण्ड वेजिटेबल प्राजेक्ट का ऐसा कोई कर्मचारी जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अर्थान्तर्गत एक कर्मकार है।

अध्याय—2

नियुक्तियों, परिवीक्षा और सेवाओं का स्थापन

पदों का सृजन और नियुक्तियां—

(1) प्राजेक्ट में सभी पद प्रबंध समिति द्वारा सृजित किए जाएंगे और प्रबंध समिति आदेश द्वारा, ऐसी साधारण या विशेष शर्तों के अधीन जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, किसी अधिकारी या अधिकारी-वर्ग की नियुक्ति की शक्तियां विनिर्दिष्ट सदस्य को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् और प्रबंध समिति द्वारा उसके प्रकाशन की तारीख से पूर्व किया गया नियुक्ति की शक्तियों का प्रत्येक प्रत्यायोजन, इन विनियमों के अधीन किया गया प्रत्यायोजन समझा जाएगा और वह वैसे ही विधिमान्य और प्रभावी होगा मानो कि उस दिन ये विनियम प्रवृत्त थे ।

(3) प्रबंध समिति समय-समय पर वह अनुभव, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं जैसे कि आयु, जो प्रोजेक्ट में किसी पद की बाबत आवश्यक या वांछनीय है, विनिर्दिष्ट करने के लिए सक्षम होगी । परन्तु इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख को अधिकारियों द्वारा धारित पदों के संबंध में अर्हता, अनुभव या आयु के ऐसे विनिर्देश उस तारीख को अधिकारियों द्वारा धारित उनके पदों में बने रहने को प्रभावित नहीं करेंगे ।

(4) सेवा की प्रत्येक नियुक्ति की यह एक शर्त होगी कि अधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी को अपना निवास का पता सूचित करें और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, इस प्रकार सूचित किए गए पते को उस अधिकारी का सही पता माना जाएगा ।

(5) चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन

नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति के जिसका एक अधिकारी के रूप में चयन किया गया है, चरित्र और पूर्ववृत्त का ऐसी रीति में सत्यापन करेगा जो, यथास्थिति, वह प्राधिकारी या अधिकारी ठीक समझें ।

(6) नियुक्ति पर वेतन

सभी प्रारंभिक नियुक्तियां साधारणतया, उस पद को जिस पर संबंधित अधिकारी नियुक्त किया जाता है, लागू ग्रेड का न्यूनतम मूल वेतन पर होंगी । परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उस ग्रेड में किसी भी प्रक्रम पर आरंभिक मूल वेतन के नियत किए जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(7) आयु सीमा

(1) प्राजेक्ट की सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति की आयु अठारह वर्ष से कम या समय-समय पर विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं होगी ।

(2) प्रबंध समिति उससे संबद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह घोषित कर सकेगी कि विशिष्ट मामले या किसी वर्ग या वर्गों की कोटि में उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट जैसी कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

(8) सेवाओं का प्रारंभ

इन विनियमों में अन्यथा जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी की सेवा की बाबत समझा जाएगा कि वह उस कार्य दिवस को आरंभ होगी जब कोई अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी या संबंधित अधिकारी द्वारा उसे सूचित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर कर्तव्य (ड्यूटी) के लिए उपस्थित होता है, परन्तु जहां ऐसी उपस्थिति पूर्वाह्न में होती है वहां सेवा उसी दिन आरंभ होगी और जहां ऐसी उपस्थिति उसके पश्चात् होती है वहां सेवा आगामी दिन से आरंभ होगी ।

(9) नियुक्ति पर परिवीक्षा

(1) किसी अधिकारी के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रथम नियुक्ति पर, कार्यभार ग्रहण की तारीख से कम से कम छह मास की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा और परिवीक्षा की अवधि तब तक चलती रहेगी जब तक वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में पुष्ट नहीं कर दिया जाता है ।

(2) प्रबंध समिति, स्वविवेकानुसार, किसी अधिकारी या अधिकारियों की परीवीक्षा की अवधि से छूट दे सकेगी या उसे घटा सकेगी ।

(3) नियुक्ति की और सेवा के आरंभ होने की यह एक शर्त होगी कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान अधिकारी कोई सूचना दिए बिना या उसके लिए कोई कारण बताए बिना सेवा से उन्मुक्त किया जा सकेगा ।

(10) प्रोन्नति पर नियुक्ति

(1) ऐसे अधिकारी की जो पहले ही सेवा में है, प्रोन्नति के रूप में किसी पद पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिक्त पदों की संख्या, प्राजेक्ट की आवश्यकताओं और उस अधिकारी द्वारा की गई सेवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही की जाएगी ।

(2) किसी पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होने के लिए अधिकारी के पास उस पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हता होगी और उसे निचले पद में उतने वर्ष जितने प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, सेवा करनी होगी और यह सीमा विनिर्दिष्ट सदस्य की सिफारिश पर प्रबंध समिति द्वारा (अपवादिक मामलों में) शिथिल की जा सकेगी ।

(3) किसी पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं, अनुभव, आयु आदि किसी अधिकारी के मामले में, उसकी प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट सदस्य की सिफारिश पर प्रबंध समिति द्वारा शिथिल की जा सकेगी ।

(4) इस विनियम या किसी अधिकारी को लागू किसी अन्य विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि उसमें यह विवक्षित है कि वह अधिकारतः प्रोन्नति का हकदार है या यह कि वह ऐसे अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट काडर या ग्रेड में की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखे बिना उसके बारे में किसी दावे का आग्रह करने के लिए उसे समर्थ बनाती है ।

(11) प्रोन्नति पर परिवीक्षा

(1) प्रत्येक अधिकारी जो उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया है (जिसके अंतर्गत एक अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किया गया कर्मकार भी है), उच्चतर पद में, प्रोन्नति पर अपने कर्तव्य ग्रहण की तारीख से कम से कम छह मास की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा और परिवीक्षा की अवधि तब तक चलती रहेगी जब तक कि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उच्चतर पद में पुष्ट नहीं कर दिया जाता है और उस अवधि के दौरान वह अधिकारी निचले पद पर अपना धारणाधिकार रखे रहेगा तथा वह अवधि सभी प्रयोजनों के लिए, उस निचले पद में पुष्ट सेवा के रूप में जानी जाएगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार, परिवीक्षा की अवधि में छूट दे सकेगा या उसे घटा सकेगा ।

(3) किसी उच्चतर पद पर प्रत्येक प्रोन्नति की यह विवक्षित शर्त होगी कि उस उच्चतर पद में परिवीक्षा की अवधि के दौरान अधिकारी, किसी सूचना के बिना और कोई कारण बताए बिना, निचले पद पर प्रतिधर्तित किया जा सकेगा ।

(12) स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र

कोई भी व्यक्ति प्राजेक्ट में किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा स्वस्थ शारीरिक गठन वाला और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चिकित्सक दृष्टयोग्य प्रमाणित कर दिया गया है और ऐसी परीक्षा के खर्च प्राजेक्ट द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(13) अस्थायी अधिकारी स्थायित्व का अधिकारतः दावा नहीं करेंगे :

किसी अस्थायी पद पर एक अधिकारी के रूप में नियुक्ति कोई व्यक्ति स्थायी स्वरूप के किसी नियोजन के संबंध में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित आधार पर न तो स्थायित्व का दावा कर सकता है और न उसे कोई पूर्विक दावा प्राप्त होगा ,--

(क) यह कि वह स्थायी प्रकृति के या किसी स्थायी पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा है, या

(ख) यह कि उसे किसी स्थायी पद पर अस्थायी रूप से नियोजित किया गया है, या

(ग) यह कि काम पर लगाए जाने की उसकी अवधि मूलतः नियत की गई अवधि के परे बढ़ा दी गई है ।

(14) भूतपूर्व कर्मचारी सामान्यतया अपात्र होंगे

कोई भी व्यक्ति–

(1) जो प्राजेक्ट की सेवा से पदच्युत किया जा चुका है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,

(2) जो प्राजेक्ट की सेवा से त्यागपत्र दे चुका है या सेवा निवृत हो चुका है अथवा जिसकी सेवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की गई थी, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(15) आयु का अभिलेख

(1) प्रत्येक अधिकारी अपनी प्रथम नियुक्ति पर और ऐसा करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उससे अपेक्षा की जाने पर ईसवी सन के अनुसार अपनी जन्म तिथि घोषित करेगा और वह प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या उस प्राधिकारी को स्वीकार्य कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध करके ऐसे प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में उसका साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(2) ऐसे अधिकारी को जो उप-विनियम (1) में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथित शपथपत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि उसके द्वारा कथित आयु सही है, फाइल करने की अनुग्रह दी जा सकेगी, परन्तु यदि किसी समय यह कथन मिथ्या पाया जाता है तो उसका नियोजन किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा और ऐसी प्रत्येक समाप्ति, ऐसी किसी अन्य विधिक कार्यवाही पर जो अधिकारी के विरुद्ध की जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी । परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में समापन का आदेश करने से पूर्व संबंधित अधिकारी को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन समापन के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध समिति को एक अपील फाइल कर सकेगा और प्रबंध समिति ऐसी जांच कर सकेगी (ऐसी जांच करवा सकेगी) जो वह ठीक समझे और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो समुचित हो तथा प्रबंध समिति का ऐसा प्रत्येक विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) ऐसे अधिकारी की दशा में जो अपनी ठीक-ठीक जन्म तिथि के विषय में शपथ लेने में असमर्थ है किन्तु लगभग वर्ष या मास बता सकता है, पूर्वगामी मामले में जुलाई की प्रथम और पश्चातवर्ती मामले में मास की प्रथम तारीख को प्राजेक्ट के अभिलेखों के लिए तब जन्म तिथि माना जा सकता है जब कि आयु प्राजेक्ट द्वारा प्राधिकृत

किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो और अधिकारी की आयु के बारे में चिकित्सा अधिकारी की राय अंतिम और अधिकारी पर बाध्यकर होगी ।

(5) उसके पश्चात किसी अधिकारी को अपने नियोजन के समय उसके द्वारा घोषित आयु या प्रोजेक्ट द्वारा अवधारित और स्वीकृत आयु को बदलने या उसे प्रश्नगत अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(16) विशिष्टियों के मिथ्या होने या उन्हें छिपाने का परिणाम

(1) यदि किसी अधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व या उस समय अथवा उसके पश्चात दी गई विशिष्टियां बाद में मिथ्या या गलत पाई जाती है या यह पाया जाता है कि कोई तात्विक विशिष्टि उसके द्वारा प्रकट नहीं की गई है या उसका दुर्वर्यपदेशन किया गया है तो नियुक्ति दुर्वर्यपदेशन करके प्राप्त की गई समझी जाएगी और उस अधिकारी की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी तथा ऐसा प्रत्येक समापन ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर जो उसके बारे में की जाय, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा । परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में संबंधित अधिकारी को समापन का कोई आदेश करने से पूर्व, कारण बताने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) उप विनियम (1) के अधीन समापन के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध समिति को एक अपील फाइल कर सकेगा और प्रबंध समिति ऐसी जांच कर सकेगी (या ऐसी जांच करवा सकेगी) जो वह ठीक समझे और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो समुचित हो तथा प्रबंध समिति का ऐसा प्रत्येक विनिश्चय अंतिम होगा । परन्तु किसी अधिकारी के ऐसे जारी रखे जाने की अन्य अधिकारियों के द्वारा एक पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं माना जाएगा ।

(17) अधिकारियों द्वारा सेवा का त्यजन और परिवीक्षाधीनों की सेवोन्मुक्ति

(1) प्रत्येक अधिकारी जो कोई स्थायी पद धारण करता है, इससे पूर्व कि उसे उस पद से जिसे वह धारण करता है, प्रयुक्त किया जा सके, सेवा छोड़ने या बन्द करने के अपने आशय की नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना या सूचना के बदले में एक मास का वेतन देने के लिए आबद्ध होगा और वहां ऐसी सूचना प्राप्त हो गयी है वहां नियुक्ति प्राधिकारी उस अधिकारी की सेवा को तुरन्त समाप्त कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक मामले में अधिकारी उपर्युक्त सूचना की अनवसित अवधि के लिए वेतन के समतुल्य रकम पाने का पात्र होगा ।

(2) प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारी –

(क) एक मास की सूचना या उसके बदले में वेतन देकर सेवा से अपनी उन्मुक्ति के लिए अनुरोध कर सकेगा,

(ख) परिवीक्षा की अवधि के दौरान एक मास की सूचना या उसके बदले में वेतन देकर कोई कारण बताए बिना सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा परन्तु ऐसे अधिकारी की दशा में जो कोई स्थायी पद धारण करता है किन्तु किसी उच्चतर पद में परिवीक्षाधीन, है, वह सेवोन्मुक्त नहीं किया जाएगा किन्तु कोई सूचना दिए बिना और कोई कारण बताए बिना अपने स्थायी पद पर प्रतिवर्तित किया जा सकेगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी यह निदेश देने के लिए सक्षम होगा कि सूचना की अवधि या उसका भाग पात्र छुट्टी या सूचना की अवधि या उसके भाग के बदले में संदाय में से समायोजन द्वारा या अन्यथा कम किया जा सकता है ।

(18) पुष्टिकृत अधिकारी की सेवा का समापन :

(1) ऐसे अधिकारी की, जो प्रोजेक्ट में किसी सेवा में पुष्ट कर दिया गया है, सेवाएं इन और उसको लागू प्रोजेक्ट के अन्य विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार के सिवाय समाप्त नहीं की जाएंगी ।

(2) जहां नियुक्ति प्राधिकारी का, जानकारी प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसे अधिकारी के, जो पुष्ट कर दिया गया है, सेवा में बने रहने का उस स्थापन की, जिसमें उसे कृत्य करना है या वह कृत्य कर रहा है, सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या वह लोक हित के लिए हानिकर या परिसंकटमय है तो, वह इन या अन्य विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस अधिकारी की सेवा को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से (जो सेवोन्मुक्ति के समय उसे सांसूचित किए जाएंगे), सूचना के बदले में एक मास का वेतन उसे देकर, समाप्त कर सकेगा । परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में जहां साध्य है, समापन का निदेश देने से पूर्व अधिकारी को कारण बताने का एक अवसर दिया जाएगा । परन्तु यह भी कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि कारण प्रकट करने से प्राजेक्ट पर या अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे दोनों सिवल या दाण्डिक कार्यवाही की जोखिम में पड़ जाएंगे, वहां ऐसी जानकारी अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से रोकी जा सकेगी ।

(3) ऐसे प्रत्येक मामले में जहां किसी अधिकारी की सेवा उप-विनियम (2) के अधीन समाप्त की गई है, उस अधिकारी को ऐसी रकमों का (जो उन रकमों से अधिक नहीं होंगी जिनके लिए वह तब हकदार हो सकता है यदि समापन की तारीख को सेवानिवृत्त हो गया होता) संदाय किया जाएगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएं ।

(4) किसी ऐसे अधिकारी को जिसकी सेवा समाप्त कर गई है, संदेय रकम का अवधारण करने वाला उप-विनियम (3) के अधीन प्रत्येक समापन के आदेश की सूचना

के तीस दिन के भीतर, वहां वह आदेश विनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा पारित किया गया है वहां प्रबंध समिति को और किसी अन्य मामले में बोर्ड को अपीलीय होगा तथा ऐसी अपील के विरुद्ध किया गया प्रत्येक विनिश्चित अंतिम होगा।

(19) अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति

(1) इन विनियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रोजेक्ट की सेवा में प्रत्येक अधिकारी अठावन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु प्रबंध समिति, किसी ऐसी अधिकारी के मामले में जिसने अठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों पर जो प्रबंध समिति ठीक समझे, उसके सेवा में बने रहने का निदेश दे सकेगी यदि उसकी राय में प्रोजेक्ट के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

(2) उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी को, उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना प्रोजेक्ट के हित में है, ऐसे किसी सेवारत अधिकारी के बारे में जिसने पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

(क) उसे, कम से कम एक मास की सूचना या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, सेवानिवृत करने का, या

(ख) उसे किसी निचले पद पर बने रहने का विकल्प देने का और यदि वह स्वीकार करता रहता है तो इस बात के अधीन रहते हुए कि वह अधिकारी लिखित रूप में यह दे देता है कि उसने सेवा से निवृत्ति को उसके लिए अपेक्षित एक मास की सूचना की अवधि का अधित्यजन करते हुए स्वीकार कर लिया है और यह कि वह निचले पद पर सेवा में बने रहने देने का अनुरोध करता है, तदनुसार निदेश देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(3) ऐसा प्रत्येक अधिकारी जिसने स्थायी पद से सेवानिवृत्त कर दिए जाने का और किसी निचले पद में बने रहने का विकल्प किया है, उस अवधि में जिसके लिए वह सेवा में बना रहता है, उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी प्राजेक्ट के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह किसी भी समय सेवा से बिल्कुल हटाया भी जा सकेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे उप-विनियम (2) के अधीन सेवानिवृत्त किया गया है, (ऐसे किसी व्यक्ति जिसने किसी निचले पद में बने रहने का विकल्प किया है, से भिन्न) यथास्थिति, प्रबंध समिति या बोर्ड को विनिश्चय के विरुद्ध तीस दिन के भीतर लिखित रूप में अपील कर सकेगा तथा, यथास्थिति, प्रबंध समिति या बोर्ड, जांच करने या कराने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(20) कुछ मामलों में सेवानिवृत होने का विकल्प

(1) प्रोजेक्ट का कोई अधिकारी जिसने पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या जिसने बीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम एक मास की सूचना देकर प्रोजेक्ट की सेवा से निवृत्त हो सकेगा।

(2) ऐसे अधिकारी की दशा में जो सेवा से उप-विनियम (1) के अनुसार निवृत्त होता है, उपदान के प्रयोजन के लिए, अर्हक सेवा में पांच वर्ष तक की वरीयता इस शर्त के अधीन रहते हुए जोड़ी जा सकेगी कि ऐसा करने से वह अधिकारी उस अर्हक सेवा से जो उसे तब मिलती यदि वह अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुआ होता, अधिक अर्हक सेवा नहीं मिलती है और यह कि वरीयता सहित अर्हक सेवा तीस वर्ष से अधिक की नहीं होती है।

(3) प्रत्येक अधिकारी जो इन विनियमों के अधीन सेवानिवृत्ति होता है, या सेवानिवृत्ति चुनता है, भविष्य निधि उपदान, छुट्टी मजदूरी, यात्रा भत्ते के अधीन फायदों और सामान्यता अनुध्येय अन्य फायदों का हकदार होगा।

(21) स्वास्थ्य परीक्षा की उपेक्षा

(1) महा प्रबंधक, कर्त्तव्यों की प्रकृति और अन्य संबद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी या अधिकारी वर्ग से ऐसे अन्तराल पर और ऐसे चिकित्सा व्यवसायी या संस्था के समक्ष जिसे महाप्रबंधक ठीक समझे, स्वास्थ्य परीक्षा कराने की अपेक्षा कर सकेगा और महाप्रबंधक, यथास्थिति, चिकित्सा व्यवसायी या संस्था की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन महाप्रबंधक का प्रत्येक विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन स्वास्थ्य परीक्षा का व्यय प्रोजेक्ट द्वारा वहन किया जाएगा और अधिकारी को कोई भी अन्य व्यय संदेय नहीं होगा।

(22) चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति

(1) नियुक्ति प्राधिकारी विनियमय में निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और ऐसी अन्य जांच जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् यदि उसका समाधान हो

जाता है कि अधिकारी अशक्त या अन्यथा चिकित्सक दृष्टया अयोग्य है तो, उसे एक मास की सूचना या उसके बदले में वेतन देकर अधिकारी को सेवा से निवृत्त कर सकेगा। परन्तु जहां कोई अधिकारी उस विनियम के अधीन अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षा कराने से इंकार करता है या कराने में असफल रहता है वह नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्य कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अनुसार सेवा निवृत्ति का कोई आदेश पारित करने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को चिकित्सा व्यवसायी की या संस्था की रिपोर्ट (जो भी उपलब्ध है) की एक प्रतिलिपि और कारण बताने का एक अवसर देगा।

(3) जो अधिकारी इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्त किया जाता है वह, ऐसे मामलों में भी जिनमें उसने पर्याप्त सेवा न की हो या आनुपातिक सेवानिवृत्ति फायदों की प्राप्ति के लिए सामान्य पात्रता संबंधी शर्तों का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है, आनुपातिक सेवानिवृत्ति फायदों का हकदार होगा।

(4) कोई अधिकारी जो इस विनियम के अधीन सेवानिवृत्ति किया गया है, सेवानिवृत्ति के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, यदि विनिश्चय विनिर्दिष्ट सदस्य का है तो प्रबंध समिति को और यदि विनिश्चय प्रबंध समिति का है तो बोर्ड को एक अपील फाइल कर सकेगा और, यथास्थिति, प्रबंध समिति या बोर्ड उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे तथा ऐसा प्रत्येक आदेश अंतिम और अधिकारी पर आबद्धकर होगा।

(23) सेवा निवृत्ति की तारीख

ऐसे अधिकारी की दशा में जो मास के किसी दिन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करता है, वह उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्ति होगा।

(24) सेवानिवृत्ति पर विशेषाधिकार छुट्टी और उसका भुनाना

(1) जहां कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व उसके द्वारा अर्जित विशेषाधिकार छुट्टी का उस तारीख से पूर्व अग्रिम रूप से उसके लिए आवेदन करने के बावजूद सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस छुट्टी के नामंजूर कर दिया जाने के कारण उपभोग करने में असमर्थ रहा है वहां उसे सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख के पश्चात् उस छुट्टी का उपभोग करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और ऐसे प्रत्येक मामले में अधिकारी ऐसी छुट्टी की अवधि के बीतने की तारीख को सेवा से निवृत्त हो जाएगा।

(2) जहां किसी अधिकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व विशेषाधिकार छुट्टी संचित कर ली है जिसका उसने सेवा निवृत्ति से पूर्व उपभोग नहीं किया था, वहां उसे अधिकतम 240 दिन के अधीन रहते हुए छुट्टी मनाने की आज्ञा दी जा सकेगी जो उस अवधि के लिए जिसके लिए मनाया जाना अनुज्ञेय है संगणित सेवानिवृत्ति से तुरंत पूर्व आहरित वेतन के समतुल्य होगा।

(25) अनुशासनिक कार्यवाही के लंबित रहते सेवानिवृत्ति का स्थगन

पूर्वगामी विनियमों की किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अधिकारी की जिसके बारे में अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या आरंभ की गई है, सेवा निवृत्ति को स्थगित कर सकेगा या उसकी सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा।

(26) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

(1) प्रबंध समिति किसी वर्ग या कोटि के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को सुकर बनाने के लिए कोई प्रबंध करने के लिए सक्षम होगी यदि प्रबंध समिति का समाधान हो जाता है कि प्रोजेक्ट के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

(2) इस विनियम के अधीन सेवा निवृत्ति के लिए सूत्र विकसित करने में प्रबंध समिति अपने विभिन्न कृत्यों का अधिक प्रभावकारी रूप से निष्पादन करने की आवश्यकता और साधारणतया प्रोजेक्ट के हित की अभिवृद्धि को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगी।

(27) छुट्टी की अवधी के पश्चात् या अन्यथा ड्यूटी का परित्याग

यदि कोई अधिकारी मूलतः मंजूर की गई या बाद में समय-समय पर बढ़ाई गई छुट्टी की अवधि के परे अनुपस्थिति बना रहता है या उसके बाहरी समानुदेशन के पश्चात्, उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर अपने पद पर लौटने में असफल रहता है तो वह अपनी नियुक्ति पर आना धारणाधिकार खो देगा।

परन्तु ऐसे किसी मामले में जहां अधिकारी उपयुक्त अवधि के आठ दिन के भीतर लौट आता है और सक्षम प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में स्पष्टीकरण देता है, वहां उस प्राधिकारी द्वारा उसे पद को पुनः ग्रहण करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(28) कुछ मामलों में जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करना

(1) जहां यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए उसके आवेदन में या प्रोजेक्ट के किसी अन्य सरकारीय अभिलेख में बताई गई जन्म तिथि को सिद्ध किया जाना है,

वहां सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा, अधिकारी से दी गई जन्म तिथि को स्थापित करने के लिए समाधानप्रद साक्ष्य पेश करने की मांग कर सकेगा और यदि संबंधित अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असमर्थ है तो उससे, इस समयोजन के लिए विनिर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष परीक्षा कराने की मांग की जा सकेगी।

(2) चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो) की एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी को दी जाएगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, चिकित्सीय परीक्षक की रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो तो अन्य किसी साक्ष्य पर जो पेश किया जाये और अधिकारी द्वारा चिकित्सीय रिपोर्ट पर किए गए अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् जन्म तिथि अथवा उसके संबंध में, यथास्थिति, मास या वर्ष निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर, अधिकारी की आयु अवधारित करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(4) उप-विनिमय (3) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रतिलिपि की उस अधिकारी पर तामील की जाएगी जिसके बारे में आदेश किया गया है।

(5) उप-विनियम (3) के अधीन आदेश से व्यथित कोई अधिकारी, प्रबंध समिति द्वारा किए गए आदेश की दशा में बोर्ड को और विनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा किए गए आदेश की दशा में प्रबंध समिति को अपील कर सकेगा, जो अधिकारी को अपने मामले को अभ्यावेदन करने का एक अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे और ऐसा प्रत्येक आदेश अंतिम और आबद्धकर होगा।

(29) विशेषज्ञों की नियुक्ति

प्रबंध समिति, प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, किसी क्षेत्र में शर्तों और पदनामों पर जो प्रबंध समिति समुचित समझे, संविदा पर या अन्यथा नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय–3

वेतन और भत्ते

(30) वेतनमान

अधिकारियों का वेतनमान, महंगाई भत्ता और (जहां लागू हो) अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा अधिकारियों के भिन्न-भिन्न वर्ग या कोटि के संबंध में भिन्न-भिन्न वेतन और भत्ते विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे।

(31) मकान किराया भत्ता

किसी अधिकारी को संदेय मकान किराया भत्ता वह होगा जो प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए और प्रबंध समिति अधिकारियों के भिन्न-भिन्न वर्ग या कोटि के संबंध में भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(32) स्थल भत्ता :

उस अधिकारी को जो किसी प्राजेक्ट स्थल पर काम करने के लिए लगाया गया है, ऐसा स्थल भत्ता संदत्त किया जा सकेगा जो प्रबंध समिति, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे और भत्ते का संदाय ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा जो प्रबंध समिति द्वारा अनुबद्ध किए जाएं।

(33) प्राजेक्ट भत्ता :

उस अधिकारी को जिसे किसी ऐसे कार्य में लगाया गया है जिसके लिए यह आवश्यक है कि वह प्रोजेक्ट क्षेत्र में निवास करे जहां उसकी जीवन की परिस्थितियां कठिन हैं, ऐसा प्राजेक्ट भत्ता अनुज्ञात किया जा सकेगा जो प्रबंध समिति द्वारा विनिश्चित किया जाए और जो ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा जो प्रबंध समिति द्वारा अनुबद्ध की जाएं।

(34) स्थानापन्न भत्ता :

सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी को भारत में कहीं भी अस्थायी रूप से किसी उच्चतर पद का कार्य सम्पन्न करने के लिए लिखित निदेश दे सकेगा और इस प्रायोजन के लिए उसे ऐसा मासिक भत्ता संदत्त किया जाएगा जो प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए और जो उस पद पर निर्भर कर सकेगा जिस पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए उसे निदेश दिया गया है।

(35) प्रारंभ और समाप्ति :

कोई भी अधिकारी उस पद का जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतन उस तारीख से, जब वह उस पद का भार ग्रहण करता है, प्राप्त करेगा और पात्र वेतन उस तारीख तक प्राप्त करता रहेगा जब वह पदभार का परित्याग करेगा।

परन्तु ऐसे अधिकारी की दशा में जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, वेतन उस दिन के, जब मृत्यु होती है, आगामी दिन से संदेय नहीं रहेगा।

(36) स्थानांतरण पर अधिकारी

जब कोई अधिकारी एक पद से अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाता है तब वह अनुध्येय कार्यग्रहण काल की अवधि के दौरान पूर्वगामी पद या पश्चात्वर्ती पद को लागू वेतन और भत्ते, जो भी कार्यग्रहण काल का उपभोग करने के समय कम हो, प्राप्त करेगा।

(37) वेतनवृद्धि संबंधी उपबंध

(1) इन या अन्य विनियमों में अन्यथा जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय निम्नलिखित सेवा को वेतनवृद्धियों के प्रयोजन के लिए सेवा गिना जाएगा—

(क) वेतनमान वाले किसी पद में (ऐसी किसी अवधि को अपवर्जित करके जो असाधारण छुट्टी पर बिताई गई है, किन्तु ऐसी किसी अवधि को सम्मिलित करके जो चिकित्सीय आधार पर बिताई गई है) सेवा उस वेतनमान में सेवा गिनी जाएगी,

(ख) किसी उच्चतर पद में (ऐसी किसी अवधि को अपवर्जित करके जो असाधारण छुट्टी पर बिताई गई है, किन्तु ऐसी किसी अवधि को सम्मिलित करके जो चिकित्सीय आधार पर बिताई गई है) सेवा किसी निचले पद में वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी,

(ग) किसी अधिकारी द्वारा उनकी विदेश सेवा पर बिताई गई अवधि उस पद में जिसमें उस अधिकारी का धारणाधिकार है, वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाएगी,

(घ) उसी रैंक के किसी अन्य पद में सेवा, प्रतिनियुक्ति पर सेवा और, जहां प्रबंध समिति ऐसा निदेश देती है, असाधारण छुट्टी के अतिरिक्त छुट्टी उस वेतनमान में जिसमें अधिकारी की पुष्टि की गई है, वेतनवृद्धि के लिए गिनी जाएगी ।

(2) वह तारीख जिस पर वेतनवृद्धियां देय होंगी, प्रत्येक वर्ष में अप्रैल की पहली तारीख और अक्तूबर की पहली तारीख तक सीमित होगी ।

(3) उन अधिकारियों की दशा में जो इन विनियमों के प्रारंभ पर सेवा में है—

(क) यदि वेतनवृद्धि अप्रैल की पहली तारीख और तत्पश्चात अक्तूबर की पहली तारीख के बीच देय हो जाती है तो वह अप्रैल की पहली तारीख को और पश्चातवर्ती वर्ष में उसी दिन वेतनवृद्धि के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि वह दक्षता रोक पर या जहां उसने दक्षता रोक को पार कर लिया है । वहां वेतनमान के अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता है,

(ख) यदि वेतनवृद्धि अक्तूबर के प्रथम दिन और अप्रैल के प्रथम दिन के बीच देय हो जाती है तो वह अक्तूबर के प्रथम दिन को और पश्चातवर्ती वर्ष में उसी तारीख को वेतनवृद्धि के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि वह दक्षता रोक पर या जहां उसने दक्षता रोक पार करती है, वेतनमान के अधिकतम पर नहीं पहुंच जाता है ।

(4) इन विनियमों के प्रारंभ के पश्चात नियुक्त अधिकारियों की दशा में, प्रथम वेतनवृद्धि अप्रैल की पहली तारीख को या अक्तूबर की पहली तारीख को, जो भी कम से कम छह मास के बीतने के पश्चात पूर्वतर आती हो, देय हो जाएगी और वह तत्पश्चात, पश्चातवर्ती वर्ष में उसी दिन तब तक पात्र होगा जब तक कि वह दक्षता रोक पर या जहां उसने दक्षता रोक पार कर ली है, वेतनमान के अधिकतम पर नहीं पहुंच जाता है ।

(5) उप-विनियम (3) या उप-विनियम (4) के अधीन प्रथम वेतनवृद्धि के मंजूर किए जाने को न तो परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप से पूरा होने के समर्थन होने में लिया जाएगा और न यह समझा जाएगा कि उसमें सेवा में उसकी पुष्टी विवक्षित है ।

(6) किसी भी अधिकारी की किसी वेतनवृद्धि या वेतनवृद्धियों को विधारित करने वाले प्रत्येक आदेश में वह अवधि कथित होगी जिसके लिए उसे इस प्रकार विधारित किया गया है और यह घोषित होगा कि क्या विधारण का भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने पर प्रभाव पड़ेगा ।

(38) उत्कृष्ट कार्य संपादन के लिए विशेष वेतनवृद्धि

प्रबंध समिति किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों में उत्कृष्ट कार्य संपादन के लिए या ऐसे ही किसी कारण से तब विशेष वेतनवृद्धि या वेतनवृद्धियां मंजूर कर सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि उन परिस्थितियों में उसे मंजूर करना उचित है ।

(39) प्रोन्नति पर वेतन का पुनः नियत किया जाना

किसी उच्चतर पद में प्रोन्नति पर किसी पद में नियुक्ति पर किसी अधिकारी का मूल वेतन आरंभ में वेतनमान के न्यूनतम पर या वेतनमान में उस प्रक्रम पर जो पुराने वेतनमान में उसके वेतन के ठीक ऊपर है जो भी उच्चतर हो ।

स्पष्टीकरण :

(क) इस विनियम के प्रयोजन के लिए ठीक पूर्ववर्ती पद में प्राप्त किए गए विशेष वेतन को यदि कोई हो उसके मूल वेतन का भाग माना जाएगा ।

(ख) किसी स्थानापन्न व्यवस्था की दशा में संबंधित अधिकारी केवल स्थानापन्न भत्ता प्राप्त करेगा जो पुराने वेतनमान और ऊपर यथा अवधारित नए वेतनमान में मूल वेतन के बीच के अन्तर के बराबर होगा ।

परन्तु ऐसा स्थानापन्न भत्ता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तब घटाया जा सकेगा यदि स्थानापन्न व्यवस्था अस्थायी प्रकृति की है और उसकी राय में परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करना उचित है ।

परन्तु यह भी कि नियुक्ति प्राधिकारी उन मामलों में जहां उसका समाधान हो जाता है कि उक्त संगणना से अन्याय होगा, एक समुचित स्थानापन्न भत्ता मंजूर कर सकेगा ।

(40) अनुदान

यदि प्रबंध समिति का उससे सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान हो जाता है कि किसी अधिकारी को कोई पूर्णतया या प्रतिसंदेय तदर्थ या अन्य अनुदान करना आवश्यक या समुचित है तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा उसे अनुज्ञात कर सकेगी ।

अध्याय–4

कार्य ग्रहण समय

(41) कार्य ग्रहण समय

(1) किसी अधिकारी को अपने पूर्व पद का कार्यभार त्यागने के पश्चात नए पद में कर्तव्य ग्रहण करने के लिए उसे ऐसी दशा के सिवाय जहां धारित पद और नया पद एक ही स्थान पर या 20 किलो मीटर के घेरे में हो, समर्थ बनाने के लिए कार्यग्रहण समय मंजूर किया जा सकेगा ।

(2) कार्यग्रहण समय को इन विनियमों के प्रयोजन के लिए कर्तव्य के रूप में माना जायेगा और उप-विनियम (1) के अनुसार संगणित कार्यग्रहण समय की बाबत वेतन संदेय होगा ।

(3) कार्यग्रहण समय का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और वह सक्षम प्राधिकारी के एकमात्र विवेकानुसार कम किया जा सकेगा । परन्तु ऐसे मामले में वहां कार्यग्रहण समय कम कर दिया गया है, सक्षम प्राधिकारी उस अधिकारी को उपभोग न किए गए कार्यग्रहण समय का किसी पश्चातवर्ती तारीख को उपभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(42) कार्यग्रहण समय की संगणना

ऐसे सभी स्थानान्तरणों के, जिनमें स्थान का परिवर्तन होता है, मामले में कार्यग्रहण समय, तैयारी के लिए छह दिन तक होगा और वह वास्तविक यात्रा पूरी करने के लिए अपेक्षित अवधि के अतिरिक्त होगा ।

(43) कार्यग्रहण समय के पश्चात अनुपस्थिति

(1) जो अधिकारी उसे अनुज्ञात कार्यग्रहण समय के भीतर, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय जो उसके नियंत्रण के परे है (जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस रूप में प्रमाणित की गई है), अपना पद ग्रहण नहीं करता है वह कार्यग्रहण समय के बीतने के पश्चात किसी वेतन या छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

(2) कार्यग्रहण समय बीतने के पश्चात कर्तव्य से जानबूझ कर अनुपस्थिति एक अवचार होगा और उस रूप में दण्डनीय होगा ।

अध्याय–5

विविध

(44) स्थापन में और से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

(1) कोई भी अधिकारी साधारणतया, सरकार को या किसी अन्य संगठन को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा और आपवादिक मामलों में जहां कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर इस प्रकार भेजा जाता है वहां ऐसा प्रबंध समिति के पूर्व अनुमोदन से और अधिकारी की सहमति से होगा ।

(2) कोई भी अधिकारी साधारणतया प्रतिनियुक्ति पर तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि:—

(क) वह अधिकारी प्रोजेक्ट में कोई स्थाई पद धारण न करता हो, और

(ख) वे कर्तव्य जिनका पालन किया जाना है, ऐसे न हो कि उनका पालन प्रोजेक्ट के किसी अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है या जब तक कि वे कर्तव्य जिनका पालन किया जाना है विशेषज्ञीय ज्ञान वाले किसी विशेषज्ञ की अपेक्षा करते हो जो साधारणतया किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध नहीं है ।

(3) जहां प्रोजेक्ट का कोई अधिकारी सरकार को या किसी अन्य संगठन को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है या उसके व्यवनीधीन रखा जाता है वहां प्रतिनियुक्ति की यह एक शर्त होगी कि नया नियोजक ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उस अधिकारी की सेवा का सम्पूर्ण खर्च जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) कार्यग्रहण समय के दौरान वेतन,

(ख) अधिकारी को संदेय यात्रा भत्ता जिससे कि वह नए नियोजक के आधीन अपनी नियुक्ति को ग्रहण कर सके और अपनी प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर प्रोजेक्ट में अपनी नियुक्ति पर वापस आ सके ।

(ग) उसे और उसके परिवार को लागू छुट्टी यात्रा रियायत फायदे,

(घ) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अर्जित छुट्टी के लिए अधिकारी का छुट्टी वेतन,

(ङ) भविष्य निधि स्कीम या, प्रोजेक्ट की तत्समय लागू किसी अन्य स्कीम में अधिकारी के खातें में नियोजक का अंशदान, और

(च) कोई अन्य राशि, जैसे कि किसी उपदान, बोनस या अनुग्रहपूर्वक संदाय, जिसके लिए अधिकारी पात्र हो जाएगा, लेखे अभिदाय जिसका मापमान और जिसकी मात्रा प्रोजेक्ट द्वारा अवधारित की जाए ।

(4) उप-विनियम (1) से (3) तक की किसी भी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह प्रोजेक्ट के प्रबंध के अपने किसी अधिकारी को स्थानांतरित करने या उसे

उसके द्वारा वित्तपोषित या संप्रवर्तित किसी संगठन में कोई कार्य देने के अधिकार को निवारित करती है तथा जहां नियुक्ति का आदेश या उससे संबंधित किसी करार में ऐसा उपबंध हो, उस प्रयोजन के लिए अधिकारी की सहमति अपेक्षित नहीं होगी ।

(45) विशेष नियुक्तियां

(1) इन विनियमों की किसी बात के होते हुए भी प्रबंध समिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सैक्टर संस्था या सहकारी संगठन अथवा किसी अन्य स्रोत की सेवा में रत किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों पर और उस अवधि के लिए जो वह समुचित समझे, प्रतिनियुक्ति पर तब नियुक्त करने के लिए सक्षम होगी यदि उसकी राय में ऐसा करना प्रोजेक्ट के हित में है ।

(2) जहां कोई व्यक्ति उप विनियम (1) के अधीन प्रोजेस्ट में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है वहा प्रबंध समिति, जहां वह समझती है कि उसे स्थायी आधार पर प्रोजेक्ट के एक अधिकारी के रूप में अमेलित करना संगठन के हित में है, पूर्व निदेशक की समिति से ऐसा करने के लिए सक्षम होगी और वह उन निबंधनों और शर्तों को विनिश्चित कर सकेगी जिन पर वह अधिकारी आमेलित किया जाएगा ।

(46) प्रवेश निकास और तलाशी

(1) प्रत्येक अधिकारी प्रोजेक्ट के परिसर में उस प्रयोजन के लिए उपबंधित द्वार या द्वारों से प्रवेश करेगा या उसे छोड़ेगा ।

(2) कोई भी अधिकारी की उस समय जब वह प्राजेक्ट के परिसर में प्रवेश कर रहा है या उसे छोड़ रहा है, किसी भी सुरक्षा कार्मिक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तलाशी ली जा सकेगी ।

(3) कोई भी अधिकारी जिसके कब्जे में उसकी कोई ऐसी वस्तु है, जिस प्रकार की वस्तु का उपयोग प्राजेक्ट में किया जा रहा है, प्रवेश करने पर उस वस्तु को सुरक्षा अभिकरण कार्मिक या उस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास जमा करा देगा और यदि ऐसी कोई वस्तु उसके कब्जे में तब पायी जाती है जब वह प्राजेक्ट में है तो यह माना जाएगा कि वह वस्तु प्राजेक्ट की है ।

(47) पहचान हाजरी और प्रवेश

(1) प्रत्येक अधिकारी को एक पहचान पत्र दिया जाएगा जिस पर उसका नाम, पदनाम और फोटो या पहचान का कोई अन्य साधन होगा ।

(2) पहचान पत्र मांग की जाने पर निरीक्षण करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रधिकृत किसी व्यक्ति को दिखाया जाएगा ।

(3) प्राजेक्ट या उसके खण्डों, सीमाओं या अनुभागों में प्रवेश और उससे निकासी का तरीका और साधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या आदेशों के अनुसार विनियमित होगा ।

(4) हाजरी की जांच को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए हाजरी रजिस्टर अलग-अलग खण्डों में सुविधाजनक रूप से रखा जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका अन्यथा निरीक्षण न किया जाए ।

(5) ऐसा कोई भी अधिकारी जिसका अपना पहचान पत्र या गेट पास खो जाता है, उसके खो जाने की रिपोर्ट मानव संसाधन और प्रशासन (म. सं. प्र.) खण्ड को लिखित रूप में तुरन्त करेगा तथा पहचान पत्र या गेट पास के प्रतिस्थापन के लिए उससे प्रतिस्थापन कर ऐसा खर्च जो इस संबंध में नियत किया जाए, प्रभारित किया जाएगा ।

(6) पहचान पत्र, प्रत्येक अधिकारी द्वारा उसके प्राजेक्ट के नियोजन में न रहने पर या किसी सरकारी या अन्य संगठन में उसके स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर तुरंत अभ्यर्पित किया जायेगा और ऐसा न करने पर ऐसी राशि अधिकारी से वसूल की जायेगी और इसका ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इसके विरुद्ध की जाये ।

(48) भविष्य निधि

प्रत्येक अधिकारी भविष्य निधि में, उसको लागू तत्समय प्रवृत नियमों या विनियमों या आदेशों के अनुसार अभिदाय करेगा ।

(49) उपदान

प्रत्येक अधिकारी उपदान के लिये तत्समय प्रवृत उस संबंध में लागू नियमों या विनियमों या आदेशों के अनुसार पात्र होगा ।

(50) छुट्टी

प्रत्येक अधिकारी छुट्टी के लिये उस विषय को लागू तत्समय प्रदत्त नियमों, विनियमों या आदेशों के अनुसार पात्र होगा ।

(51) दौरे और यात्रा भत्ता

(1) किसी अधिकारी के सरकारी काम से दौरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा मंजूर किया जा सकेगा ।

(2) यात्रा भत्ते और विराम भत्ते की दरें तथा शर्तें जिनके अधीन वे संदेय हो जाते हैं, वे होंगी जो प्रबंध समिति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

(52) स्थानांतरण

(1) किन्हीं अन्य विनियमों की किसी बात के होते हुए भी सक्षम प्राधिकारी को प्राजेक्ट के एक विभाग से

किसी अन्य विभाग में या प्रोजेक्ट के एक कार्यालय से उसके किसी अन्य कार्यालय या कार्यक्षेत्र या जैसा विनियमों में परिकल्पित है अथवा किसी अन्य संगठन में स्थानान्तरित कर सकेगा और इस प्रकार स्थानांतरित प्रत्येक अधिकारी भारत के किसी भी भाग में या विदेश में सेवा करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) उप विनियम (1) के अंतर्गत स्थानांतरित प्रत्येक अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का सर्वथा अनुपालन करेगा तथा अपनी नई तैनाती पर निर्देशानुसार ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए आबद्ध होगा।

(53) विदेशों में दौरे

(1) प्रबंध समिति समय-समय पर, प्राजेक्ट के किसी अधिकारी के विदेशों में दौरे को, जिसके अंतर्गत महाप्रबंधक के ऐसे दौरे भी हैं, मंजूर कर सकेगी।

परन्तु प्रत्येक दौरे की विशिष्टियों वाला एक विवरण संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट के साथ, यथा शीघ्र प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(54) वाहन सुविधाएं

(1) किसी अधिकारी अथवा अधिकारी वर्ग या प्रवर्ग के लिए वाहन सुविधाओं या भत्ते की व्यवस्था ऐसी रीति में और उस सीमा तक की जा सकेगी जो प्रबंध समिति समय-समय पर अवधारित करे।

(2) महाप्रबंधक, किसी अधिकारी को इस प्रयोजन से कि वह कोई परिवहन यान खरीद सके, उतनी रकम का उधार मंजूर कर सकेगा जो प्रबंध समिति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(55) सेवा अभिलेख

प्रत्येक अधिकारी का सेवा अभिलेख, मूल आरंभिक वेतन, ग्रेड, वेतनमान आदि विनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए रखा जाएगा।

(56) पत्र व्यवहार के लिए पता

(1) प्रत्येक अधिकारी के लिए यह लाजिमी होगा कि वह सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर पत्र व्यवहार के लिए अपना सही पता (जिसके अंतर्गत निवास का पता भी है,) दे और इस प्रकार दिया गया पता उस अधिकारी के वैयक्तिक अभिलेखों का भाग होगा।

(2) जहां उप विनियम (1) के अनुसार दिए गए पते में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां अधिकारी, नया पता बताते हुए उस परिवर्तन की लिखत सूचना सक्षम प्राधिकारी को तुरन्त देगा और उस आशय की अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा।

(3) किसी अधिकारी को उसके अंतिम दिए गए पते पर भेजे गए प्रत्येक पत्र, को उचित तामील समझा जाएगा।

(57) छुट्टी से वापिस बुलाना

(1) यदि सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अधिकारी की, जो छुट्टी पर है, अत्यावश्यक रूप से सेवाएं प्राप्त करना प्रोजेक्ट के हित में आवश्यक है तो वह उस अधिकारी को छुट्टी से वापिस बुला सकेगा और वह उसके अनुपालन में कर्तव्य पालन के लिए उपस्थित होने के लिए आबद्ध होगा।

(2) उप विनियम (1) के अनुसरण में छुट्टी से वापिस बुलाया गया प्रत्येक अधिकारी छुट्टी के स्थान से कर्तव्य पालन के स्थान तक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(58) छुट्टी यात्रा रियायत

(1) प्रत्येक अधिकारी को ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत मंजूर की जा सकेगी जो उसे प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गए किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन अनुज्ञेय है।

(2) ऐसे मामले में जिसमें अनुशासन प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि किसी अधिकारी के विरुद्ध छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा के दुरुपयोग या उसकी बाबत मिथ्या विशिष्टियां देने के बारे में कोई प्रथम दृष्टया मामला है, वह अधिकारी विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने की अवधि के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त नहीं करेगा, और

(क) ऐसे मामले में, जहां अनुशासनिक कार्यवाही में दुरुपयोग या दुर्व्यपदेशन सिद्ध हो जाता है, वहां अधिकारी कार्यवाही से लंबित रहने की अवधि और तत्पश्चात देय होने वाले छुट्टी यात्रा रियायत के दो सेट के लिए अनुधेय छुट्टी यात्रा रियायत को खो देगा

(ख) ऐसे मामले में जहां अनुशासनिक कार्यवाही में दुरुपयोग या दुर्व्यपदेशन सिद्ध नहीं हुआ है, अधिकारी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान न रोकी गई छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग भावी वर्ष खण्डों में एक अतिरिक्त सेट के रूप में, इस बात के अधीन रहते हुए कर सकेगा कि उसका उपभोग अधिवर्षिता की सामान्य तारीख से पूर्व किया जाएगा।

(ग) उप-विनियम (2) के अधीन की गई कोई कार्रवाई, ऐसी किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो फूट एण्ड वैजिटेबल प्राजेक्ट अधिकारी (आचरण अनुशासन और अपील) विनियम 1994 के अधीन उस अधिकारी के विरुद्ध की जाए।

(59) पारी में कार्य

(1) सक्षम प्राधिकारी अपने एकमात्र विवेकानुसार समय-समय पर पारी में कार्य की व्यवस्था आरंभ कर सकेगा या किसी विद्यमान पारी को बदल सकेगा और तदानुसार, अधिकारीगण को एक पारी से किसी दूसरी पारी में या एक कार्यकरण अनुसूची में कर्तव्यों का पालन करना पड़ सकता है।

(2) प्रत्येक अधिकारी, जिसके बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उप विनियम (1) के अनुसार कोई निदेश दिया जाता है, उसका अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(60) विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों की अनुपस्थिति

सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि कोई अधिकारी या अधिकारी समूह किसी ऐसी गंभीर परिस्थिति के कारण जो अधिकारी के नियंत्रण के परे है जैसे कि बल्वे, लोक अव्यवस्था आदि और जो उसे कार्य के स्थान पर पहुंचने से रोकती है, कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, उस अनुपस्थिति की अवधि के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर कर सकेगा ।

(61) धारणाधिकार का प्रतिधारण

(1) कोई स्थायी पद धारण करने वाला प्रत्येक अधिकारी--

(क) जो किसी समनुदेशन या प्रशिक्षण या अध्ययन पर प्राजेक्ट द्वारा विदेश भेजा गया है, उसे अपने नियमित पद पर इस बात के अधीन रहते हुए कि अधिकारी यह वचन देता कि प्राजेक्ट द्वारा तय पाई गई विदेश में सेवावधि की अवधि के बीतने पर वह तुरन्त लौट आएगा और प्राजेक्ट की सेवा करेगा, धारणाधिकार ऐसी अवधि के लिए जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए प्रतिधारित करने दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त वह ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का जो इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, पालन करने का करार करेगा,

(ख) जो सरकार या किसी अन्य बाहरी संगठन में किसी पद को समनुदिष्ट किया गया है, उसे प्राजक्ट के प्रबंध द्वारा अपने नियमित पद पर ऐसे निबंधनों और शर्तों, परिणामों और निबन्धनों के जो सक्षम प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ठीक समझें, अधीन रहते हुए धारणाधिकार प्रतिधारित करने दिया जाएगा और उसके अंतर्गत यह शर्त भी हो सकती है कि यदि अधिकारी ऐसी अवधि के जो सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, बीतने पर तुरन्त नहीं लौटता है तो उक्त धारणाधिकार स्वयं समाप्त हो जाएगा,

(ग) जो प्राजेक्ट से संबद्ध या उसके द्वारा संप्रवर्तित किसी संगठन में किसी पद पर समनुदिष्ट किया गया है और जो प्राजेक्ट में अपने पद पर धारणाधिकार के प्रतिधारण का अनुरोध करता है, उसे प्राजेक्ट के साथ अपना धारणाधिकार प्रतिधारित करने दिया जाएगा, और

(घ) जो प्राजेक्ट से संबद्ध या उसके द्वारा संपर्वर्तित किसी संगठन में कोई नियुक्ति प्राप्त करता है और जो प्राजेक्ट में अपने पद पर धारणाधिकार के प्रतिधारण के लिए अनुरोध करता है उसे एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए अपना धारणाधिकार प्रतिधारित करने दिया जाएगा ।

(62) परामर्श कार्य संबंधी समनुदेशन

कोई अधिकारी जो भारत में या विदेश में किसी संगठन को परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए प्राजेक्ट द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है या कोई व्यक्ति जो ऐसे समनुदेशन पर प्राजेक्ट के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जाता है, वह प्राजेक्ट को अपनी परामर्श फीस, वेतन या मानदेय का जो उसे उस समनुदेशन के दौरान प्राप्त हुए है, उतना भाग जो प्रबंध समिति द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, भेजने के लिए आबद्ध होगा ।

(63) कर्मचारी कल्याण स्कीम

(1) अपने कार्मचारियों के बीच छोटे परिवार के सांत्वयन को अपनाने की बात को प्रोत्साहित करना प्राजेक्ट के प्रबंध की नीति होगी ।

(2) उप विनियम (1) में वर्णित उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से, उन अधिकारियों को जो इस निमित्त समय-समय पर तैयार की गई भारत सरकार की नीति के अनुसार यवास्थि, बन्धीकरण आपरेशन कराते हैं या आई. यू. सी. डी. लगवाते हैं, विशेष आकस्मिक छुटटी मंजुर की जा सकेगी ।

(3) उप विनियम (2) के अधीन विषेश आकस्मिक छुटटी की मंजूरी के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक अधिकारी को जिसके तीन से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं और जो प्रजनन के आयु वर्ग के भीतर है (या उस अधिकारी का पति या पत्नी) और जो बन्धीकरण आपरेशन कराता है, देय अगली वेतनवृद्धि की रकम के बराबर एक वैयक्तिक वेतन मंजूर किया जाएगा (जो वेतन में भावी वृद्धि में आमेलित नहीं किया जाएगा) और अधिकतम वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी की दशा में, वैयक्तिक वेतन की रकम अंतिम प्राप्त की गई वेतनवृद्धि के बराबर होगी ।

(4) वैयक्तिक वेतन के फायदे किसी भी पात्र अधिकारी को उप विनियम (3) के अधीन इस शर्त के अधीन मंजूर किए जायेंगे कि वह उस डाक्टर का जिसने बन्धीकरण आपरेशन किया है, इस आशय का एक प्रमाणपत्र पेश करेगा कि आपरेशन कर दिया गया है और वह सफल था ।

(5) प्राजेक्ट, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवास और अन्य आवश्यकताओं या क्रियाकलाप के लिए कोई स्कीम क्रियान्वित कर सकेगा तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए स्कूल क्लब, सहकारी आधार और आपूर्ति सोसायटी आदि जैसी संस्थाओं को संप्रवर्तित कर सकेगा, और वह उसके प्रबंध में भाग लेने का हकदार होगा ।

(64) अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ना

इन विनियमों की किसी भी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि उससे सक्षम प्राधिकारी के, प्राजेक्ट अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 1994 के अधीन प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने

हुए किसी अधिकारी को सेवानिवृत करने, सेवोन्मुक्त करने, हटाने या पदच्युत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(65) विशेष परिस्थितियों में शिथिलीकरण

प्रबंध समिति जहां उसका समाधान हो गया है कि किसी विनियम को लागू करने से असम्यक कठिनाई होगी वहां, किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, किसी अधिकारी या अधिकारी वर्ग को किसी विशिष्ट विनियम के लागू होने से छूट दे सकेगी और निदेश दे सकेगी कि वह विनियम ऐसे आपातरित रूप में, जो वह तय करेगा, लागू होगा।

(66) व्यौरों पर मार्गदर्शन

प्रबंध समिति, समय-समय पर ऐसे विषयों पर जिनके बारे में सन्नियम और व्यौरे बताए जाने हैं, मार्गदर्शन करते हुए आदेश बना सकेगी।

(67) निर्वचन

(1) इन विनियमों के हिन्दी पाठ और इसके अंग्रेजी पाठ के बीच किसी अन्तर की दशा में अंग्रेजी पाठ का उपबंध अभिमानी होगा।

(2) यदि इन विनियमों के संबंध में निर्वचन का कोई प्रश्न या संदेह उत्पन्न होता है तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकर होगा।

वी. कुरियन, अध्यक्ष,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

F&V Project Officers

Appointment, Pay and Allowances

Regulation---1994

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1994

THE FRUIT AND VEGETABLE PROJECT OFFICERS

(APPOINTMENT, PAY AND ALLOWANCE REGULATION---1994)

No. DEL : NDDB.---In exercise of the powers conferred by section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), and of all other powers enabling it in that behalf the Board of Directors of the National Dairy Development Board hereby makes the following Regulations, namely :

CHAPTER--I

PRELIMINARY

1. Short title & Commencement.--(1) These Regulations may be called the Fruit and Vegetable Project Officers (Appointment, pay and allowance) Regulations, 1994.

(2) They shall be deemed to have come into force at once.

2. Application.—(1) Save as otherwise expressly provided by the terms of contract, agreement or order of appointment, deputation or secondment, these regulations shall apply to every officer of the Fruit and Vegetable Project irrespective of whether his service in the Project commenced before or after the publication of this order.

(2) For the removal of doubts it is hereby declared that the Fruit and Vegetable Project is a separate establishment, employing its own staff shall be governed by these regulations.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) and (2), these regulations shall not apply to any officer of the National Dairy Development Board who is on an assignment to the Fruit and Vegetable Project, and every such officer shall be governed by the regulations already applicable to him.

3. Definition.—In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Appointing Authority" in relation to any officer, means the Fruit and Vegetable Project Management Committee or the Specified Member, for the time being, competent to make appointment to the post held by the officer, or to any post in the grade applicable to the said officer;

(b) "Board", means the Board of Directors of the National Dairy Development Board;

(c) "Chairman of the Board", means the Chairman of the National Dairy Development Board, and includes any person performing the functions of the Chairman of the Board;

(d) "Competent Authority", in relation to any officer or other employee or with respect to any matter, means—

(i) the Management Committee of the Fruit and Vegetable Project or the Specified Member thereof to whom the powers have been delegated in that behalf, in so far as matters relating to Appointment, Suspension, Termination and Dismissal from service, and

(ii) the Management Committee or the Specified Member referred to in clause (i), or any other officer of the Project to whom the powers have been delegated in that behalf, in relation to all other matters.

(e) "Employee", means an officer or workman of the Fruit and Vegetable Project;

(f) "General Manager", means the Chief Executive of the Fruit and Vegetable Project or any other officer officiating as such or performing the duties of the Chief Executive.

(g) "Government", means the Central Government or any State Government;

(h) "Government Servant", means a person who is a member of a service or who holds a civil post under the Central Government or a State Government, and includes any such person on foreign service;

(i) "lien", means the right of an officer to hold substantively, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post which he has been holding in a permanent capacity;

(j) "Management Committee", means the Management Committee of the Fruit and Vegetable Project;

(k) "Month", means a month reckoned according to the British calendar;

(l) "Officer", means an employee of the Fruit and Vegetable Project other than a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) or any other corresponding law, for the time being in force;

(m) "Officiate", in relation to an officer with reference to any post, means the performance of duties by an officer in that post by way of a temporary arrangement;

(n) "Organisation", includes a Firm ;

(o) "Permanent Officer", means an officer who is employed against the permanent post and who has been duly confirmed;

(p) "Personal pay" means additional pay granted to an officer;

(i) to save him from a loss of substantive pay in respect of a permanent post due to a revision of pay, or to any reduction of substantive pay otherwise than as disciplinary measure; or

(ii) in exceptional circumstances, on special consideration;

(q) "Project", means the Fruit and Vegetable Project.

(r) "Specified Member", means the Member of the Fruit and Vegetable Project Management Committee whom the Board, may from time to time specify as such.

(s) "Trainee", means a learner, by whatever name called, who is engaged to undergo training, whether with or without stipend, in terms of a special agreement;

(t) "Temporary Officer", means an officer—

(i) who is engaged temporarily for doing work which is likely to be completed within a limited period; or

(ii) who is employed temporarily as an additional officer in connection with the temporary increase in workload; or

(iii) who is engaged temporarily against a permanent post till the permanent post is filled;

(u) "Workman", means any employee of the Fruit and Vegetable Project who is a workman within the meaning of the Industrial Dispute Act 1947, (14 of 1947) or any other corresponding law for the time being in force;

CHAPTER-II

APPOINTMENTS, PROBATION AND TERMINATION OF SERVICES

4. CREATION OF POSTS AND APPOINTMENTS.—(1) All posts in the Project shall be created by the Management Committee and the Management Committee may, by order, delegate, subject to such general or special conditions as it may deem fit to impose, the powers of appointment of any officer or class of officers, to the Specified Member.

(2) Every delegation of powers of appointment, made after the date of commencement of these regulations and before the date of its publication by the Management Committee, shall be deemed to be a delegation made under these regulations and be as valid and effective as if these regulations were in force on that day.

(3) It shall be competent for the Management Committee from time to time to specify the experience, educational and other qualifications such as age, which are necessary or desirable in respect of any post in the Project :

Provided that in relation to posts held by officers on the date of publication of these regulations, such specifications of qualification, experience or age shall not affect the continuance in the respective posts held by the officers as on such date.

(4) It shall be a condition of every appointment of service that the residential address be intimated by the officer to the Appointing Authority and for the purposes of these regulations the address so intimated shall be taken as the correct address of the officer.

5. VERIFICATION OF CHARACTER AND ANTECEDENTS.—The Appointing Authority or any other officer shall verify the character and antecedents of a person selected as an officer in such manner as the authority or officer as the case may be, may deem fit.

6. PAY ON APPOINTMENT.—All initial appointments shall ordinarily be on the minimum basic pay of the grade applicable to the post to which the officer concerned is appointed :

Provided that the Appointing Authority may, having regard to the circumstances of any case, authorise the fixation of starting basic pay at any stage in the grade.

7. AGE LIMIT.—(1) The age of a person at the time of his first appointment to the service of the Project, shall not be less than eighteen or more than the age so specified from time to time

(2) The Management Committee may, having regard to the circumstances attendant thereto, declare that, in any particular case or any class or category of classes, there shall be no age limit as specified under sub-regulation (1).

8. COMMENCEMENT OF SERVICES.—Save as otherwise provided under these regulations, service of an officer appointed to any post shall be deemed to commence on the working day on which an officer reports for duty at the specified place and time intimated to him by the Appointing Authority, or officer concerned, provided that, where such reporting is in the forenoon the service shall commence on that day, and where the reporting is thereafter, the service shall commence on the following day.

9. PROBATION ON APPOINTMENT.—(1) Every person appointed to a post as an officer shall, on his first appointment, be on probation for a period of not less then six months from the date of joining duty and the period of probation shall continue unless he is confirmed in writing by the Appointing Authority.

(2) The Management Committee may, at its discretion, dispense with or reduce the probationary period of any officer or officers.

(3) It shall be a condition of the appointment and of the commencement of service that, during the period of probation, the officer shall be liable to be discharged from service without any notice and without assigning any reason thereof.

10. APPOINTMENT ON PROMOTION.—(1) Appointment to any post by way of promotion of an officer already in service, shall be made by the Competent Authority only after having regard to the number of vacant positions, the needs of the Project and the quality of service rendered by that officer.

(2) An officer to be eligible for promotion to a post shall possess the qualification specified for the post and shall have to put in the number of years of service in the lower post as may be specified from time to time by the Management Committee and this limit may be relaxed (in exceptional cases) by the Management Committee on the recommendation of the Specified Member.

(3) The qualifications, experience, age, etc. specified, for any post may be relaxed, in the case of an officer for the purpose of his promotion, by the Management Committee on the recommendation of the Specified Member.

(4) Nothing contained in this or any other regulation applicable to an officer shall be deemed to imply that the officer is entitled to promotion as a matter of right or to enable him to assert any claim in respect thereof irrespective of the length of service put in by such officer in a particular cadre or grade.

11. PROBATION ON PROMOTION.—(1) Every officer who is promoted to a higher post (including any workman promoted as an officer) shall be deemed to be on probation in the higher post for a period of not less than six months from the date of his joining duty on promotion and the period of probation shall continue unless he is confirmed in writing in the higher post by the Appointing Authority, and during that period, the officer shall retain his lien on the lower post and the period shall count as confirmed service in that lower post for all purposes.

(2) The Appointing Authority may, at its discretion, dispense with or reduce the period of probation.

(3) It shall be implied condition of every promotion to a higher post that, during the period of probation in the higher post, the officer shall be liable to be reverted to the lower post without any notice and without any reason being assigned

12. CERTIFICATE OF HEALTH.—No person shall be appointed to any service or post in the Project, unless he has been certified, to be of sound constitution and medically fit to discharge his duties by a qualified medical practitioner approved by the General Manager and the expenses towards such examination will be borne by the Project.

13. TEMPORARY OFFICERS NOT TO CLAIM PERMANENCY AS OF RIGHT.—Any person appointed as an officer against a temporary vacancy cannot claim permanency or have a prior claim in relation to any employment of a permanent nature, inter alia, on the ground—

(a) that he has been discharging duties of a permanent nature or of a permanent post; or

(b) that he has been employed temporarily against a permanent post; or

(c) that his term of engagement has been extended beyond the period originally fixed.

14. EX-EMPLOYEES NORMALLY INELIGIBLE.—No person,

(i) who has been dismissed from the services of the Project shall be eligible for appointment to any post in the service;

(ii) who resigned or retired from the service of the Project or whose service was terminated by the Competent Authority, shall be eligible for appointment to any post in the service.

15. RECORD OF AGE.—(1) Every officer shall declare on his first appointment and on his being required at any time so to do by the Competent Authority, his date of birth according to the Christian era and he shall produce evidence thereof to the satisfaction of such Authority, by providing the birth certificate, school leaving certificate or any other document acceptable to the Authority.

(2) An officer, who is unable to produce the evidence as required under sub-regulation (1), may be permitted by the Competent Authority, to file an affidavit sworn before a Magistrate or an Oath Commissioner making a declaration that the age as stated by him is correct provided that in the event of the statement being found at any time to be false, his employment shall be liable to be terminated at

any time and every such termination shall be without prejudice to any other legal action that may be taken against the officer :

Provided that in every such case an opportunity to show cause shall be given to the officer concerned, before making an order of termination.

(3) Any person aggrieved by an order of termination under sub-regulation (2) may file an appeal to the Management Committee within thirty days of the order and the Management Committee may make such enquiry (or cause such enquiry to be made) as it may deem fit and pass such orders thereon as may be appropriate and every such decision of the Management Committee shall be final.

(4) In the case of an officer who is unable to swear to his exact date of birth but can give approximately the year or month, the first of July in the former case and the first of the month in the latter case, may be treated as the date of birth for the purpose of the records of the Project if the age is duly certified by a medical officer authorized by the Project and the opinion of the medical officer as to the age of the officer shall be final and binding on the officer.

(5) No officer shall thereafter be allowed to alter or question the age declared by him at the time of his employment or the age determined and accepted by the Project.

16. CONSEQUENCE OF PARTICULARS BEING FALSE OR SUPPRESSED.—(1) If any of the particulars given by an officer before or at the time of appointment or thereafter, are subsequently found to be false or incorrect, or it is found that any of the material particulars have not been disclosed or misrepresented by him the appointment shall be deemed to have been obtained on misrepresentation and the officer shall be liable to be terminated summarily by the Competent Authority and every such termination shall be without prejudice to any other action that may be taken in respect thereof :

Provided that in every such case an opportunity to show cause shall be given to the officer concerned, before making an order of termination.

(2) Any person aggrieved by an order of termination under sub-regulation (1), may file an appeal to the Management Committee within thirty days of the order and the Management Committee may make such enquiry (or cause such enquiry to be made) as it may deem fit and pass such orders thereof as may be appropriate and every such decision of the Management Committee shall be final :

Provided further that such continuance of an officer shall not be treated as a precedent by any other officers.

17. RELINQUISHMENT OF SERVICE BY OFFICERS AND DISCHARGE OF PROBATIONERS.—(1) Every officer who is holding a permanent post shall be bound to give one month's notice in writing or one month's salary in lieu of notice to the Appointing Authority, of his intention to leave or to discontinue the service before he can be relieved from the post he is holding, and where such notice has been received it shall be open to the Appinting Authority to dispense with the service of the officer forthwith and in every such case the officer shall be eligible to receive an amount equivalent to the salary for the unexpired period of notice aforesaid.

(2) Every officer on probation may—

(a) request for his discharge from service by giving notice of one month or pay in lieu thereof;

(b) be discharged from service during the period of probation with notice of one month or pay in lieu thereof without assigning any reason.

Provided that in the case of an officer who is holding a permanent post but is on probation in a higher post he shall not be discharged but may be reverted to his permanent post without any notice and without assigning any reason.

(3) It shall be competent for the Appointing Authority to direct that the period of notice or part thereof may be reduced by adjustment against eligible leave or payment in lieu of notice period or part thereof or otherwise.

18. TERMINATION OF SERVICE OF CONFIRMED OFFICER.—(1) The services of an officer who has been confirmed in a post in the Project shall not be terminated except in accordance with the provisions contained in these and other regulations of the Project applicable to him.

(2) Where the Appointing Authority is satisfied, on receipt of information or otherwise, that the continuance in service of any officer who has been confirmed, would adversely affect the security of the establishment in which he is to function or is functioning, or is detrimental or hazardous to the public interest, it may, notwithstanding anything contained in these or other regulations, terminate the service of the officer for reasons to be recorded (which shall be communicated to him at the time of discharge) on giving him one month's pay in lieu of notice :

Provided that in every case where it is practicable the officer shall be given an opportunity to show cause before directing the termination :

Provided further that where the Appointing Authority is satisfied that the disclosure of reasons would be prejudicial to the Project or to the Officer and expose either of them to civil or criminal proceedings, such information may be withheld for reasons to be recorded in writing.

(3) In every case where the service of an officer has been terminated under sub-regulation (2), the officer shall be paid such amounts (not exceeding the amounts to which he may be entitled if he had retired on the date of termination) as may be determined by the Appointing Authority.

(4) Every order under sub-regulation (3) making a determination of the amount payable to an officer whose service has been terminated, shall be appealable, within 30 days of the communication of the order of determination, to the Management Committee where the order has been passed by the Specified Member and to the Board in any other case, and every decision made against such appeal shall be final.

19. SUPERANNUATION AND RETIREMENT.—(1) Save as otherwise provided in these regulations, every officer in the service of the Project shall retire on attaining the age of fifty eight years :

Provided that the Management Committee may, in the case of any officer, who has attained the age of fifty eight, direct his continuance in service for such period and on such terms as the Management Committee may deem fit, if in its opinion it is necessary to do so in the interest of the Project.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Appointing Authority shall, on being satisfied that it is in the interest of the Project to do so, have the absolute right, in respect of any officer in service who has attained the age of fifty years or has completed thirty years of service—

(i) to retire him by giving him notice in writing of not less than one month or salary for one month in lieu thereof; or

(ii) to give him the option of continuing in a lower post and if he accepts, give directions accordingly, subject to the officer giving in writing that he has accepted the retirement from service, waiving the period of one month notice required for the purpose, and that he requests to be continued in service in lower post.

(3) Every officer who has opted to be retired from the permanent post and for continuance in a lower post shall not be eligible for promotion to the higher post from the period for which he continues in service, and he shall also be liable to be discontinued from the service altogether at any time if the Appointing Authority considers it necessary so to do in the interest of the Project.

(4) Every person who has been retired under sub-regulation (2) (other than a person who has opted to be continued in a lower post) may appeal to the Management Committee or the Board, as the case may be, in writing within thirty days against the decision and the Management Committee or the Board, as the case may be, may, after making enquiry or causing enquiry to be made, pass such orders thereon as it may deem fit.

20. Option to Retire in Certain Cases.—(1) An officer of the Project who has attained the age of fifty years or who has completed twenty years of service, may, by giving notice of not less than one month in writing to the appointing Authority, retire from the service of the Project.

(2) In the case of an officer who retires from service in accordance with sub-regulation (1) a weightage upto five years may be added to the qualifying service for the purpose of gratuity, subject to the condition, that by so doing, the officer does not get qualifying service in excess of the qualifying service he would have got had he retired on superannuation and that the qualifying service together with the weightage does not exceed thirty years.

(3) Every officer who retires under these regulations, or opts for retirement will be entitled to benefit under provident fund, gratuity, leave encashment, travelling allowance and other benefits as normally admissible.

21. Requirement of Medical Examination.—(1) The General Manager may, having regard to the nature of the duties and other attendant circumstances, require any officer or class or officers to undergo medical examination at such interval and before such medical practitioner or institution as the General Manager may deem fit and it shall be competent for the General Manager to act on the report of medical practitioner or institution, as the case may be.

(2) Every decision of the General Manager made under sub-regulation (1) shall be final and binding.

(3) The expenses for the medical examination under sub-regulation (1) will be borne by the Project and no other expenses whatsoever will be payable to the officer.

22. Retirement on Medical Grounds.—(1) The Appointing Authority may, after considering the report of the medical practioner referred to in regulation 21 and after making such other enquiry as he may deem fit, if satisfied that the officer is incapacitated or otherwise medically unfit, by order, retire the officer from service by giving him notice of one month or pay in lieu thereof :

Provided that where an officer refuses or fails to undergo medical examination as required under that regulation, the Appointing Authority may act on the information available.

(2) Before passing an order of retirement in accordance with sub-regulation (1), the Appointing Authority shall give the officer concerned a copy of the report (whatever available) of the medical practitioner or of the Institution, and an opportunity to show cause.

(3) The officer who is retired under this regulation shall be entitled to proportionate retirement benefits, even in cases where he would not have put in adequate service or has not been able to comply with the normal eligibility conditions for the receipt of proportionate retirement benefits.

(4) Any officer who has been retired under this regulation may file an appeal, within thirty days of the order of retirement, to the Management Committee if the decision is that of the Specified Member and to the Board if the decision is that of the Management Committee and the Management Committee or the Board as the case may be, may pass such orders

thereon as it may deem fit, and every such orders shall be final and binding on the officer.

23. Date of Retirement.—In the case of an officer who completes the age of retirement on any day of month, he shall retire on the afternoon of the last day of that month.

24. Privilege Leave on Retirement and Encashment.—(1) Where an officer has not been able to avail of the privilege leave earned by him before the date of his retirement in spite of his having applied for it in advance before that date on account of leave having been refused by the Competent Authority he may be permitted to avail of the leave after the normal date of retirement, and in every such case the officer shall retire from the service on the date of expiry of the period of such leave.

(2) Where an officer has accumulated privilege leave previous to his retirement which he did not avail of before retirement, he may be allowed encashment of leave subject to a maximum of 240 days which shall be equivalent to the salary drawn immediately before retirement, calculated for the period for which such encashment was admissible.

25. Postponement of Retirement Pending Disciplinary Action.—Notwithstanding anything contained in the foregoing regulations, it shall be open to the Appointing Authority to postpone the retirement or to refuse permission for the retirement of an officer in respect of whom disciplinary proceedings are impending or initiated.

26. Voluntary Retirement.—(1) It shall be competent for the Management Committee to formulate any arrangement to facilitate the retirement of any class or category of employees, if the Management Committee is satisfied that in the interest of the Project it is necessary so to do.

(2) In evolving the formulation for retirement under this regulation, the Management Committee shall have due regard to the need for carrying out of its varied functions more effectively and the promotion of the interest of the Project in general.

27. Abandoning Duty after period of Leave or otherwise.—If any officer remains absent beyond the period of leave originally granted or subsequently extended from time to time or remains absent without leave or permission, or fails to return to his post after his outside assignment within the period allowed for the purpose, he shall lose his lien on his appointment :

Provided that in a case where the officer returns within eight days of the period aforesaid and furnishes an explanation to the satisfaction of the Competent Authority, he may be permitted by that authority to rejoin the post.

28. Specifying Date of Birth in certain cases.—(1) Where there is reason to believe that the date of birth furnished by any officer in his application for appointment or any other official records of the Project, has to be substantiated, the Competent Authority may, by order, call upon the officer, to produce satisfactory evidence to establish the date of birth as given and if the officer concerned is unable to produce documentary evidence to the satisfaction of the Competent Authority, he may be called upon to undergo examination before a medical practitioner specified for the purpose.

(2) A copy of the report (if available) of the medical practitioner shall be given to the officer concerned.

(3) The Appointing Authority may, after consideration of the report of the medical examiner, if available any other evidence that may be produced and the representation made by the officer, if any, on the medical report, specify the date of birth or the month or year in relation thereto, as the case may be, and pass such orders thereon as he may deem fit determining the age of the officer.

(4) A copy of the order made under sub-regulation (3) shall be served on the officer in respect of whom the order is made.

(5) Any officer, aggrieved by the order under sub-regulation (3) may appeal to the Board in the case of an order by the Management Committee and to the Management Committee in the case of an order made by the Specified Member, who may, after giving an opportunity to the officer to represent his cause, pass such orders thereon as he or it may deem fit and every such order shall be final and binding.

29. Appointment of Experts.—The Management Committee may, having regard to the needs of the Project, from time to time, appoint on contract or otherwise, experts with specialized knowledge and experience in any field on such terms, conditions and designations as the Management Committee may deem appropriate.

CHAPTER III

PAY AND ALLOWANCES

30. Scale of Pay.—The scale of pay, dearness allowance and any other allowances (whereever payable) to the officers shall be such as may be specified by the Management Committee, from time to time, and different pay and allowances may be specified in relation to different class or category of officers.

31. House Rent Allowance.—The House Rent Allowance payable to an officer shall be such as the Management Committee may determine from time to time, and the Management Committee shall be competent to specify different rates in relation to different class or category of officers.

32. Site Allowance.—An officer who is assigned to work on a project site may be paid such site allowance as the Management Committee may, from time to time, specify and the payment of the allowance shall be subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Management Committee.

33. Project Allowance.—The officer who is assigned to any work which necessitates his taking up residence in the Project area, where his living conditions are difficult, may be allowance such project

allowance as may be decided by the Management Committee and be subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Management Committee.

34. Officiating Allowance.—The Competent Authority may direct an officer in writing to perform the work of a higher post temporarily anywhere in India and for this purpose he shall be paid such monthly allowance as may be approved by the Management Committee which may depend on the post he has been directed to officiate.

35. Commencement and Cessation.—An officer shall draw the salary of the post to which he is appointed from the date he assumes charge of the post and shall continue to draw the salary as eligible upto the date he relinquished charge :

Provided that in the case of an officer who dies while in service, the salary shall cease to be payable with effect from the day following that on which the death occurs.

36. Officers on Transfer.—When an officer is transferred from one post to anoher, he shall, during the period of admissible joining time draw salary and allowances as applicable to the former post or to the latter post, whichever is less, at the time of availing the joining time.

37. Provisions on Increment.—(1) Save as otherwise provided in these or other regulations, the following service shall count as service for the purpose of increments.—

(a) Service (excluding any period spent on extraordinary leave but including any period spent on medical grounds) in a post on a scale of pay counts in that scale ;

(b) Service (excluding periods spent on extraordinary leave but including any period spent on medical grounds) in a higher post counts for increment in a lower post ;

(c) Period spent by an officer on foreign service counts for increments in the post in which the officer has a lien ;

(d) Service in another post of the same rank, service on deputation and, where the Management Committee so directs, any leave other than extraordinary leave, shall count for increment in the pay scale in which the officer has been confirmed.

(2) The date on which increments shall fall due shall be confined to the first of April and first of October in every year.

(3) In the case of officers who are in service at he commencement of these regulations,—

(a) if the increment falls due between first of April and first of October thereafter, he shall be eligible for increment on the first of April and on the same date in the subsequent year until he reaches the efficiency bar, or where he has crossed the efficiency bar, the maximum in the scale ;

(b) if the increment falls due between first day of October and first day of April, he shall be eligible for increment on the first day of October and on the same date in the subsequent year until he reaches the efficiency bar, or where he has crossed the efficiency bar the maximum in the scale.

(4) In the case of officers appointed after the commencement of these regulations, the first increment shall fall due on the first of April or the first of October whichever comes earlier after the expiration of minimum of six months, and he shall be eligible for increment thereafter on the same date in the subsequent year until he reaches the efficiency bar or where he has crossed the efficiency bar until he reaches the maximum in the scale.

(5) The granting of first increment under sub-regulation (3) or sub regulation (4) shall not be taken in support of satisfactory completion of probation or be deemed to imply his confirmation in the service.

(6) Every order witholding an increment or increments of an officer shall state the period for which it is so withheld and declare whether the withholding shall have the effect of postponing future increments.

38. Special Increment for Outstanding Performance.—The Management Committee may grant special increment or increments to any officer for outstanding performance in his duties or for some such reason, if it is satisfied that it is proper to grant the same under the circumstances.

39. Refixaion of Salary on Promotion.—On Appointment to any post on promotion in higher grade, the basic pay of an officer shall be initially fixed at the minimum of the scale or at that stage in the scale which is next above his pay in the old scale, whichever is higher.

Explanation

(a) For the purpose of this regulation, special pay, if any, drawn in the immediately previous post shall be treated as part of his basic pay.

(b) In the case of any officiating arrangement the officer concerned shall draw only an officiating allowance, which shall be equal to the difference between the basic pay in the old scale and in the new scale as determined above :

Provided that such officiating allowance may be reduced by the Appointing Authority if the officiating arrangement is of a temporary nature and in its view the circumstances justify it.

Provided further that the Appointing Authority may grant an appropriate officiating allowance in cases where he is satisfied that the above computation leads to inequity.

40. Granst.—If the Management Committee is satisfied, having regard to the circumstances relevant thereto that it is necessary or appropriate to make any ad hoc or other grant outright or repayable, to any officer, it may, for reasons to be recorded in writing, by order, allow the same.

CHAPTER IV

JOINING TIME

41. Joining Time.—(1) Joining time may be granted to an officer to enable him to assume duties in the new post after relinquishing charge of his earlier post except in a case where the post held and the new post are in the same station or any place within a radius of 20 kms.

(2) Joining time shall be regarded as duty for the purpose of these regulations, and the salary shall be payable in respect of the joining time calculated in accordance with sub-regulation (1).

(3) Joining time cannot be claimed as a matter of right and it may be curtailed at the sole discretion of the Competent Authority :

Provided that in a case where the joining time has been curtailed, the Competent Authority may permit the officer to avail of the joining time not availed of on any subsequent date.

42. Calculation of Joining Time.—The joining time in the case of all transfers involving change of station, shall be limited to six days for preparation and this shall be in addition to the period required to cover the actual journey.

43. Overstayal After Joining Time.—(1) An officer who does not join his post within the joining time allowed to him, except under circumstances beyond his control (certified as such by the Competent Authority), shall not be entitled to any pay or leave salary after the expiry of the joining time.

(2) Wilful absence from duty after the expiry of joining time shall be an act of misconduct and punishable as such.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

44. DEPUTATION OF OFFICERS TO AND FROM THE ESTABLISHMENT.—(1) No officer shall ordinarily be sent on deputation to Government or to any other organisation and in exceptional cases where any officer is so sent on deputation, it shall be with the previous approval of the Management Committee and with the consent of the Officer.

(2) No officer shall be sent ordinarily on deputation unless—

(a) the officer holds a permanent post in the Project; and

(b) the duties to be performed are such that they can only be performed by a officer of the Project or that the duties to be performed require an expert with specialized knowledge, which is not ordinarily available from any other source.

(3) Where an officer of the Project is sent or placed at the disposal of the Government or any other organisation on deputation it shall be a condition of the deputation that the new employer shall, during the period of such deputation, bear the entire cost of the service of the officer including the following namely :—

(a) Salary during the joining time;

(b) Travelling allowance payable to the officer to enable him to join his appointment under the new employer and to return to his appointment in the Project on the termination of his deputation;

(c) Leave travel concession benefits as applicable to him and his family ;

(d) Leave salary of the officer for the leave earned during the period of deputation ;

(e) the employer's contribution to the officer's account in the Provident Fund Scheme or any other Scheme of the Project for the time being, applicable; and

(f) the employer's contribution to the officer's wards any gratuity, bonus, or ex-gratia for which the officer may become eligible, the scale and quantum of which may be determined by the Project.

(4) Nothing contained in sub-regulations (1) to (3) shall be deemed to prevent the right of the Management of the Project to transfer any of its officers or give any assignment to him in an organisation financed or promoted by it and where the order of appointment or any agreement relating thereto so provides, the consent of the officer shall not be required for the purpose.

45 SPECIAL APPOINTMENTS.—(1) Notwithstanding anything contained in these regulations it shall be competent to the Management Committee to appoint on deputation any person in the service of the Central Government or the State Government or Public Sector Institution or Cooperative Organisation or any other source to any post in the Project on such terms and for such period as he may deem appropriate if in his opinion it is necessary so to do in the interest of the Project.

(2) Where any person has been appointed on deputation to the Project under sub-regulation (1), it shall be competent for the Management Committee, where it considers that it is in the interest of the Organisation to absorb him as an Officer of the Project on a permanent basis, it shall be competent for it to do so with the concurrence of the previous employer and it may decide the terms and conditions on which the officer shall be absorbed.

46. ENTRY, EXIT AND SEARCH.—(1) Every officer shall enter or leave the premises of the Project by the gate or gates provided for the purpose.

(2) Any officer may, while entering or leaving the premises of the Project or at any time whilst on the premises, be searched by any security personnel or any other person authorized in this behalf.

(3) Any officer having in his possession any article belonging to him the type of which is also being used in the Project, shall on entry, deposit the same with the security agency personnel or to any person duly authorized in that behalf and if any such article is found in his possession while in the Project it will be presumed that the same belongs to the Project.

47. IDENTIFICATION, ATTENDANCE AND ENTRY.—(1) Every officer shall be given an identity card bearing his name, designation, and photograph or any other means of identification

(2) The Identity card shall be shown on demand to any person authorized by the Competent Authority to inspect.

(3) The mode and means of entry and exist into and from the premises of the Project or its divisions, limits or sections, shall be regulated in accordance with the directions issued or orders given by the Competent Authority from time to time.

(4) For the purpose of facilitating the checking of attendance, the attendance register will be conveniently positioned in the respective divisions unless otherwise directed by the Competent Authority.

(5) Any officer who loses his identity card or gate pass should report the loss immediately to the Human Resource and Administration (H.R. & A.) Division in writing, and for the replacement of the Identity card or gate pass, he shall be charged the cost of replacement as may be fixed in this regard.

(6) The identity card shall immediately be surrendered by every officer on his ceasing to be in employment of the Project or on his transfer or deputation to any Government or other organisation, failing which such sums as the Competent Authority may specify in this behalf, shall be recoverable from the officer, and this shall be without prejudice to any other action that may be taken against him.

48. PROVIDENT FUND.—Every officer shall contribute to the Provident Fund as per the rules or regulations or orders, for the time being in force, applicable thereto.

49. GRATUITY.—Every officer shall be eligible for Gratuity as per the rules, regulations or orders governing the matter, for the time being in force.

50. LEAVE.—Every officer shall be eligible for leave as per rules, regulations, or orders governing the matter for the time being in force, applicable thereto.

51 TOURS AND TRAVELLING ALLOWANCE.—(1) Tours on official business of any officer may be sanctioned by the Competent Authority, by general or special order.

(2) The rates of travelling allowance and halting allowance and the conditions under which they become payable shall be such as the Management Committee may, from time to time, specify.

52. TRANSFERS.—(1) Notwithstanding anything contained in any other regulations, the Competent Authority may transfer an officer from one department of the Project to another in the same office or from one office of the Project to any other office or operational area thereof, or as envisaged in the regulations, or to any other organisation, and every officer so transferred shall be bound to service in any part of India or abroad.

(2) Every officer transferred under sub-regulation (1) shall strictly comply with the orders of transfer and shall be bound to report for duty at his new posting as directed.

53. TOURS ABROAD.—(1) The Management Committee may, from time to time, sanction the tour abroad of any officer of the Project including that of the General Manager :

Provided that a statement containing the particulars of every tour, together with the report of the officer concerned, shall, as soon as may be, be placed before the Management Committee.

54. CONVEYANCE FACILITIES.—(1) Conveyance facilities or allowance may be provided for any officer or class or category of officers in such manner and to such extent as the Management Committee may, from time to time, determine.

(2) The General Manager may, for the purpose of enabling any officer to purchase a transport vehicle, grant a loan of such amount as may be specified by the Management Committee from time to time.

55 SERVICE RECORD.—The service record of every officer shall be maintained for the purpose specifying the basic starting salary, grade, scale of pay etc.

56. ADDRESS FOR COMMUNICATION.—(1) It shall be incumbent on every officer to furnish from time to time, his correct address for communication (including the residential address) to the Competent Authority and address so given shall form part of the personal records of the officer.

(2) Where there has been any change in the address furnished in accordance with sub-regulation (1), the officer shall forthwith intimate in writing to the Competent Authority of the Change giving the new address and obtain in acknowledgement to that effect.

(3) Every communication sent to an officer at the last given address shall be deemed to be proper service.

57. RECALL FROM LEAVE.—(1) If the Competent Authority considers it necessary in the interest of the Project to obtain the services of any officer who is on leave, urgently, recall the officer from leave and he shall be bound to report for duty in compliance thereof.

(2) Every officer recalled from leave in pursuance of sub-regulation (1), shall be eligible to draw travelling allowance for the journey from the place of leave to the place of duty.

58. LEAVE TRAVEL CONCESSION.—(1) Every officer may be granted such leave travel concession as is admissible to him under any general or special order made by the Management Committee from time to time.

(2) In case where disciplinary authority arrives at the conclusion that there is a prima facie case against an officer in respect of misuse of the leave travel concession facility or the furnishing of false particulars in respect thereof, the officer shall not draw the leave travel concession during the period of pendency of the departmental proceedings and

(a) in a case where the misuse or misrepresentation has been esablished in the disciplinary proceedings, the officer shall forfeit the leave travel concesion admissible for the period of the pendency of the proceedings and two sets of LTC falling due thereafter;

(b) in a case where the misuse or misrepresentation has not been established in the disciplinary proceedings, the officer may avail of the leave travel concession withheld during the pendency of the proceedings as an additional set in future blocks of years subject to the same being utilized before the normal date of superannuation.

(c) Any action taken under sub-regulation (2) shall be without prejudice to any action that may be taken against the officer under the Fruit and Vegetable Project Officers (Conduct, Discipline and Appeal) Regulation, 1994.

59. SHIFT WORKING.—(1) The Competent Authority at its sole discretion, may from time to time, introduce shift working, or alter any existing shifts, and the officers are liable to perform duties from one shift to another or from one working schedule to another accordingly.

(2) Every officer, in respect of whom a direction is given in accordance with sub-regulation (1) by the Competent Authority, shall be bound to comply with the same.

60. ABSENCE OF OFFICERS UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES

The Competent Authority may, if satisfied that any of the officer or group or officers could not attend office due to any grave circumstance beyond the control of the officer (such as riots, public disorder, etc.) preventing him from reaching the place of work, grant special casual leave for the period of absence.

61. RETENTION OF LIEN

(1) Every officer holding a permanent post :—

(a) who has been sent abroad by the Project on any assignment or training or study, shall be allowed to retain a lien against his regular post subject to officer giving an undertaking that on the expiry of period of tenure abroad as agreed to by the Project, he would return forthwith and serve the Project, for a period so determined by the Competent Authority, and also agree to abide by such other terms and conditions as may be specified in this behalf from time to time;

(b) who has been assigned to a post in the Government or any other outside organisation, may be allowed by the Management of the project to retain a lien against his regular post with the project subject to such terms and conditions, limitations or restrictions, as the Competent Authority may, having regard to the circumstances of the case deem fit, and it may include a condition that if the officer does not return immediately on the expiry of such period, as the Competent Authority, may from time to time specify, the said lien shall automatically stand terminated;

(c) who has been assigned to a post in a organisation connected with or promoted by the project and who requests for retention of lien on his post in the project, may be allowed to retain his lien with the project; and

(d) who secures appointment with any organization connected with or promoted by the project and who requests for retention of lien on his post in the project, may be allowed to retain his lien for a maximum period of one year.

62. CONSULTANCY ASSIGNMENTS

Any officer who is deputed to provide consultancy services to any organisation in India or abroad by the project or any person who is nominated on such assignment through the project shall be bound to remit to the project such portion of their consultancy fee, salary or honorarium received by him during the assignment as may be determined by the Management Committee from time to time.

63. EMPLOYEES WELFARE SCHEME

(1) It shall be the policy of the Management of the project to encourage the adoption of small family norms amongst its employees.

(2) With a view to achieve the objective mentioned in sub regulation (1), special casual leave may be granted, to officers who undergo sterilization operation or IUCD Insertion, as the case may be, as per Government of India policy formulated in this regard, from time to time.

(3) Over and above the grant of special casual leave under sub regulation (2), every officer who does not have more than three living children and is within the reproductive age group (or spouse of the Officer) and who undergoes sterilization operation, shall be granted a personal pay (not to be absorbed in future increase in pay) equal to the amount of the next increment due and in the case of any officer drawing pay at the maximum, the grant of personal pay shall be the amount equal to the increment last drawn.

(4) The benefits of personal pay shall be granted to any eligible officer under sub regulation (3), subject to the officer producing a certificate from the doctor who conducted the sterilization operation to the effect that the operation has been done and was successful.

(5) The project may implement any Scheme for housing and other requirements or activities for officers and other employees and promote institutions like school, club, cooperative credit and supply society, etc. to carry out welfare activities of the officers and other employees and shall be entitled to participate in its management.

64. DISCIPLINARY ACTION NOT AFFECTED

Nothing contained in these regulaions shall be deemed to affect the right of the Competent Authority to retire, discharge, remove or dismiss any officer in exercise of the powers conferred on the Authority under the project officers (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1994.

65. RELAXATION UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES

The Management Committee may, where it is satisfied that the application of any regulation would cause undue hardship, having regard to the circumstances of any particular case, by order, exempt any officer or class of officers from the application of any particular regulation or direct that the regulation shall apply in such modified form as he may determine.

66. GUIDELINES ON DETAILS

The Management Committee may, from time to time, make orders spellingout guidelines on matters on which the norms and details have to be spelt out.

67. INTERPRETATION

(1) In case of any divergence between the Hindi version of these regulations and the English version thereof, the provision in the English text shall prevail.

(2) If any question of interpretation or doubt arises in relation to these regulations, the matter shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final and binding.

V. KURIEN, Chairman
National Dairy Development Board

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994